Tel.-05442-245601
Mob:9415311059

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electy Transmission Division
U.P.Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id:- eeetdmirzapr@upptcl.org

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapr@upptcl.org

पत्रांक 357 /वि०प्रे०ख०(मी०) /132 के०वी० लालगंज वन

दिनांक:- 28/03/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर।

विषय– जनपद मीरजापुर के लालगंज तहसील अन्तर्गत ग्राम राजापुर क्षेत्र में वन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक सम्बन्धित प्रपत्र जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व) ने अपने कार्यालय पत्रांक 1385/जि०भू०व्यव०लि०/प्र०पत्र/भा० वनाधि० अधि०/2017 दि० 25.03.2017 द्वारा कमियों इंगित है। जिसमें आपके संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार गाटा सं० 1 क्षेत्रफल 0.2322 वर्ग मी० भूमि लालगंज रेन्ज तहसील के वन भूमि के अन्तर्गत है जबकि उद्धरण खतौनी में यह भूमि पहाड़ है एवं संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में ग्राम का नाम भी उल्लिखित नहीं है।

कृपया अतः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध में जॉच कराने की कृपा करें, जिससे 132 के०वी० डबल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन का वन प्रस्ताव अतिशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

(एस०सी०तिवारी)
अधिशासी अभियन्ता
O/C

पत्रांक 357 /वि०प्रे०खं०(मी०)/ तद्दिनांकः– 28/3/2017

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०सी०तिवारी)
अधिशासी अभियन्ता
O/C

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर ।

पत्रांक– 1385/जि0भू0व्यव0लि0/प्र0पत्र/भा0 वनाधि0 अधि0/2017 दिनांक मार्च 25,2017

विषय :– जनपद मीरजापुर के लालगंज तहसील अन्तर्गत ग्राम राजापुर क्षेत्र में वन प्रस्ताव के संबं में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
पथरहिया मीरजापुर ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 251/वि0प्रे0ख0(मी0)/ई0एम0सी(दिनांक 01.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भारतीय वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है :–

1. आपके पत्रांक 1893/15 दिनांक 04.01.2016 के कम में क्षेत्रीय वनाधिकारी लालगंज द्वारा पत्रांक 261 दिनांक 11.06.2016 द्वारा आख्या प्रस्तुत किया गया है पुनः इसी संबंध में उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2016 को आख्या प्रेषित किया गया है । दोनो पत्रों में उल्लिखित आख्या में भिन्नता है । इसके अतिरिक्त उक्त आख्या किस ग्राम से संबंधित है इसका भी कोई उल्लेख पत्र में नहीं है जिससे यह स्वीकार किया जाना उचित नहीं है कि उक्त आख्या ग्राम राजापुर तहसील लालगंज से ही संबंधित है ।
2. प्रकरण में गाटा संख्या–1 से संबंधित भूमि का उल्लेख किया गया है जिसकी खतौनी पत्रावली में संलग्न न होने के कारण आपको जरिये दूरभाष अवगत कराये जाने पर आपके प्रतिनिधि ग्राम राजापुर तहसील लालगंज से संबंधित उद्धरण खतौनी के साथ उपस्थित हुये जिसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि उक्त गाटा संख्या वन भूमि से संबंधित नहीं है बल्कि वह ग्राम सभा से संबंधित भूमि है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें जिससे उसके संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रचलित हो सके।

SDO(T) Mzp
Pl. go through contents and reply
25.03.2017

25.3.17
अपर जिलाधिकारी(भू–राजस्व)
मीरजापुर ।